AFR:2009:CGHC:10708

प्रकाशन हेतु अनुदेशित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक -188/1994

[एकल खंडपीठ - माननीय श्री न्यायमूर्ती आर.एल झँवर

अपीलार्थी – जगतनारायण त्रिपाठी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी – मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान मे छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय सुनाए जाने हेतु दिनांक 25.11.2009 को सूचीबद्ध करें।

सही /-

आर.एल. झँवर

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक -188/1994

एकल खंडपीठ - माननीय श्री न्यायमूर्ती आर.एल झँवर

अपीलार्थी - जगतनारायण त्रिपाठी पिता केदारनाथ त्रिपाठी, आयु 53 वर्ष, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस चौकी बेलगहना, वर्तमान मे पुलिस लाइन बिलासपुर, जिला बिलासपुर (मध्यप्रदेश) वर्तमान मे छत्तीसगढ़

विरुद्ध

प्रत्यर्थी – मध्यप्रदेश राज्य (वर्तमान मे छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से : श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री अरविंद शुक्ला, पैनल अधिवक्ता

निर्णय

(25.11.2009 को पारित)

1. यह दांडिक अपील, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 3/87 में दिनांक 15.02.1994 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमे अंतर्गत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, (इसे आगे "अधिनियम 1947" कहा जाएगा) की धारा 5(1)(**d**) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध कर, एक वर्ष का साधारण कारावास तथा रुपये 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की अदायगी न होने की स्थिति में, प्रत्येक व्यतिक्रम पर 2 **½** माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का दंडादेश पारित किया गया है। दोनों सजाओं को साथ साथ चलने का निर्देश दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. विचारण न्यायालय के निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि कथित अवैध परितोषण की स्वीकृति अथवा उसकी बरामदगी अथवा किसी हेतु या परितोषण का कोई सबूत उपलब्ध न होने के बावजूद, माननीय विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को उक्त धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है।

3. इसमें कोई विवाद नहीं है कि घटना दिनांक 11.12.1984 को अभियुक्त/अपीलार्थी, बेलगहना पुलिस चौकी अंतर्गत थाना कोटा, जिला बिलासपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था।

4. इस अपील के दायर किए जाने के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि जनकराम पोर्ते ने दिनांक 9.11.1984 को पुलिस चौकी बेलगहना में शिकायतकर्ता चतुरी सिंह (अ.सा.-12) तथा अन्य पाँच अभियुक्तों के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी अन्वेषण प्रधान आरक्षक द्वारा की गई। शिकायतकर्ता के कथनानुसार, आरक्षक शीतलदास मानिकपुरी उसके पास आया और यह कहा कि यदि वह उक्त प्रकरण को खारिज कराना चाहता है तो उसे रुपये 1200/- का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात् शिकायतकर्ता ने अपने अन्य चार साथियों अर्थात् रैनलाल, रामबली, कलानाथ तथा बिधनसिंह के साथ मिलकर रुपये एकत्र किए और रुपये 1200/- मुकुंद सिंह को दिए, जिसने आगे चलकर उक्त राशि आरक्षक माणिकराम को प्रदान की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तत्पश्चात दिनांक 07.12.1984 को उपनिरीक्षक/ अपीलार्थी गाँव आया और शिकायतकर्ता एवं पाँच अन्य व्यक्तियों को बुला कर कहा की उक्त प्रकरण को समाप्त करने के लिए 1200 रुपये भुगतान करना होगा। चूँकि शिकायतकर्ता चतुरी सिंह, अवैध परितोषण देना नहीं चाहता था, अतः

उसने लिखित शिकायत (प्रदर्श पी./3) तैयार कर विशेष पुलिस स्थापना के कार्यालय में प्रस्तुत की। इस पर जनार्दन सिंह ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर एवं जे.पी.सिन्हा, नायब तहसीलदार को बुलाकर शिकायतकर्ता से परिचित कराया गया, जिसने उन्हें रुपये 1200/- दिए। उन नोटों के क्रमांक पंचनामा में अंकित किए गए तथा उन्हें फिनॉल्फ्थलीन पाउडर से लेपित किया गया। सोडियम कार्बोनेट के साथ परीक्षण प्रदर्शित कर प्रारंभिक पंचनामा तैयार किया गया और ट्रैप की कार्यवाही की गई। लेपित मुद्रा नोट शिकायतकर्ता को दिए गए और निर्देशित किया गया कि रुपये केवल अपीलार्थी की मांग पर ही दी जाए और रुपये देने के बाद ट्रैप पार्टी को संकेत दिया जाए। शिकायतकर्ता ट्रैप पार्टी के साथ बेलगहना गया और उसके बाद शिकायतकर्ता को रामलाल के साथ रुपये लेकर देने के लिए भेजा। वह अपीलार्थी के घर के भीतर गया और लगभग दस मिनट बाद बाहर आकर संकेत दिया। तत्पश्चात ट्रैप पार्टी तत्काल पहुंचा परंतु अपीलार्थी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और बार बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खोला। शिकायतकर्ता ने कथन किया की अपीलार्थी ने उससे रुपये प्राप्त कर उसे बैग मे रखा है तथा भीतर जाकर दरवाजा बंद कर लिया । कुछ मिनट बाद अपीलार्थी लुंगी बनियान एवं शॉल पहने बाहर आया और कहा की वह दौरे से आया है। जब उससे 1200 रुपये के संबंध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मे पूछताछ करने पर लेने से इंकार किया। तलाशी लेने पर कोई नोट नहीं मिला। तत्पश्चात् सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर अपीलार्थी के हाथ उसमें डाले गए, जो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गए। उक्त घोल को सीलबंद कर जब्त किया गया। अपीलार्थी की मेज से काला बैग भी जब्त किया गया, जिसकी तलाशी लेने पर रुपये नहीं मिली। उस बैग तथा उसमें रखे कागज़ात को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, जो गुलाबी हो गया और उसे भी जब्त किया गया। अपीलार्थी ने कहा कि उसने शिकायतकर्ता से कोई रुपये प्राप्त नहीं की है। सभी प्रयासों के बावजूद ट्रैप पार्टी अभियुक्त के कब्जे या उसके घर से फिनॉल्फ्थलीन लेपित नोट बरामद नहीं कर सका। इसके पश्चात् इस्तेगासा तैयार किया गया, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत कथन लेखबद्ध किए गए तथा आवश्यक जब्ती कार्यवाही की गई। जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा गया। देहाती नालशी तैयार कर थाना पहुँचने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और अन्वेषण प्रारंभ की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अन्वेषण पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र सत्र न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। दिनांक 31.08.1987 को जब माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा विशेष न्यायाधीश पदस्थ किए गए, तब यह प्रकरण उस न्यायालय को सौपा गया।

6. माननीय विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(**d**) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत आरोप विरचित किया गए जिसे उसके समक्ष पढ़ कर सुनाया गया और समझाया गया, उसने अपराध से इंकार किया और अपने निर्दोष होने का अभिवचन किया।

7. माननीय विशेष न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन कर तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं की तर्क सुनने के उपरांत, अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध कर उपर्युक्त दंड से दंडित किया।

8. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं की तर्क सुना तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अवैध परितोषण की मांग को सिद्ध करने में असफल रहा है तथा रुपये की जब्ती का भी कोई सबूत/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मामला स्थापित नहीं होता और वह दोषमुक्ति का अधिकारी है। यह भी तर्क दिया गया कि चतुरी सिंह के साक्ष्य की पुष्टि न तो ट्रैप पार्टी के किसी सदस्य द्वारा और न ही किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा की गई है, अतः ट्रैप पार्टी के सदस्यों की गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में उन्होंने **सोम प्रकाश विरुद्ध पंजाब राज्य, 1992**

क्रि.एल.जे. 490 मे प्रकाशित **, अययासामी विरुद्ध तमिलनाडु राज्य, 1992 क्रि.एल.जे. 608 मे** प्रकाशित **, ए. सुबैर विरुद्ध केरल राज्य, 2009 एआईआर एससीडब्लू 3994** मे प्रकाशित ***तथा महारास्ट्रा विरुद्ध दयानेश्वर लक्षमण राव वानखेडे 2009* एआईआर एससीडब्लू 5411** पर अवलंब लिया गया है।

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश का समर्थन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि ट्रैप अधिकारियों के साक्ष्य पर बिना किसी पुष्टि के भी विश्वास किया जा सकता है। इस प्रकरण में ट्रैप अधिकारियों के साक्ष्य की पुष्टि स्वयं शिकायतकर्ता चतुरी सिंह द्वारा की गई है तथा पाश दल द्वारा पकड़े जाने के उपरांत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की दुर्भावना प्रदर्शित नहीं की गई। इस संदर्भ मे **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध जकाउल्लाह एआईआर 1998 एससी 1474 मे प्रकाशित एवं गुजरात राज्य विरुद्ध रघुनाथ वामनराव बक्सी ए आई आर 1985 एस सी 1092** पर अवलंब लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह विवादित नहीं है कि घटना के समय अपीलार्थी जगतनारायण बेलगहना पुलिस थाना में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे और वे शासकीय सेवक थे तथा उनके अभियोजन हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि शिकायतकर्ता एवं अन्य पाँच

व्यक्तियों के विरुद्ध जनकराम पोर्ते की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

12. प्रदर्श पी.-3 वह रिपोर्ट है, जिसे मदनलाल तिवारी (अ.सा. 3) ने चतुरी सिंह (अ.सा.12) के निर्देश पर लिखा था और उक्त रिपोर्ट आयुक्त को सौंपी गई, जिन्होंने एम.के. हिराधर, उप पुलिस अधीक्षक (अ.सा.-13), डी.एल. मरकाम, उप पुलिस अधीक्षक तथा निरीक्षक गोंड को बुला कर ट्रैप पार्टी की व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया। तत्पश्चात ट्रैप पार्टी का गठन किया जिसमे एम के हिराधर (अ.सा.-13) जे पी सिन्हा (अ.सा.-9), कलानाथ (अ.सा.-8), लक्ष्मी प्रसाद पांडे (अ.सा.-7), ब्रज बिहारी मिश्रा (अ.सा.-5), शिवाजी सिंह (अ.सा.-2), डी एल मरकाम (अब दिवंगत) जनार्दन सिंह ठाकुर (डिप्टी कलेक्टर) सम्मिलित थे के साक्ष्यों के अनुसार यह स्पष्ट कि चतुरी सिंह से रिपोर्ट प्राप्त होने पर रुपये 1200/- (प्रत्येक रुपये 100/- के 12 नोट) चतुरी सिंह से लिए गए तथा उन नोटों पर फिनॉल्फथलीन पाउडर लगाया गया। तत्पश्चात् सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल तैयार कर फिनॉल्फथलीन की प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया गया और उन घोलों को जब्त किया गया। मुद्रा नोटों के क्रमांक प्रारंभिक पंचनामे में लिखे गए तथा शिकायतकर्ता चतुरी सिंह को यह निर्देश दिया गया कि मांग करने पर ही वे नोट अपीलार्थी को दें और उन्हें उसकी जेब

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में रखें। इसके उपरांत ट्रैप पार्टी बेलगहना पहुँचा। उपर्युक्त सभी तथ्यों को गवाहों द्वारा सिद्ध किया गया।

13. चतुरी सिंह (अ.सा. 12) की गवाही से यह स्पष्ट होता है कि जनकराम पोर्ते की रिपोर्ट पर अपीलार्थी द्वारा उसके विरुद्ध, बिधानसिंह, रामसिंह, कलानाथ तथा अरन सिंह के विरुद्ध एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और उक्त प्रकरण को खारिज करने हेतु आरक्षक शीतलदास मानिकपुरी ने उनसे रुपये 1200/- की मांग की थी, जो राशि उसे दी गई। इसके उपरांत अपीलार्थी उनके गाँव आया और पुनः चतुरी सिंह से प्रकरण खारिज करने के लिए रुपये 1200/- की मांग की। इसके लिए उन्होंने परस्पर मिलकर रुपये एकत्र की, किन्तु वे उक्त राशि अपीलार्थी को देना नहीं चाहते थे। इस तथ्य को कलानाथ अ.सा.8. मुकुंद अ.सा.6. तथा मदनलाल तिवारी अ.सा.2 जिन्होंने शिकायत लिखी थी, ने भी सिद्ध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. यह तथ्य कि जब ट्रैप पार्टी के सदस्यगण बेलगहना पहुँचे और अपीलार्थी को पकड़ने के लिए अपनी स्थिति में थे, तथा उस उद्देश्य से शिकायतकर्ता चतुरी सिंह को अपीलार्थी के पास रुपये देने के लिए भेजा गया इस तथ्य की पुष्टि शिवाजी सिंह अ.सा.2 जे पी सिन्हा अ.सा.9 एम के हिराधर अ.सा.13 की गवाही से भी होता है

15. चतुरी सिंह (अ.सा. 12) की गवाही से यह भी स्पष्ट होता है कि जैसे ही वह पुलिस चौकी पहुँचा, उस समय अपीलार्थी पुलिस चौकी में उपस्थित पाया गया और अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से रुपये की मांग की, जिस पर शिकायतकर्ता ने अपनी जेब में रखे रुपये नोट उसे दिए और तत्पश्चात् ट्रैप पार्टी को संकेत दिया। ट्रैप पार्टी तत्काल पुलिस चौकी की ओर दौड़ा और ट्रैप पार्टी को देखकर अभियुक्त/ अपीलार्थी तत्काल घर के अंदर चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तथा ट्रैप पार्टी द्वारा दरवाजा खटखटाने का प्रयास किए जाने पर भी कुछ समय तक नहीं खोला। उनकी गवाही के पैरा 5 से यह भी स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता स्वयं अकेले अपीलार्थी के पास गया और उसने फिनॉल्फथलीन पाउडर लगे हुए वे रुपये नोट अपीलार्थी को दिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. कुछ ही मिनटों पश्चात् अपीलार्थी पुलिस चौकी पर लुंगी, बनियान एवं शॉल पहने हुए आया। ट्रैप पार्टी ने उससे शिकायतकर्ता द्वारा दी गई धनराशि के संबंध में पूछताछ की, जिस पर उसने इंकार कर दिया। तत्पश्चात् मकान का दरवाज़ा खोला गया और ट्रैप पार्टी भीतर प्रवेश कर तलाशी ली, किंतु रुपये कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद अभियुक्त/ अपीलार्थी के हाथ को सोडियम कार्बोनेट के घोल मे डुबाया गया जो गुलाबी रंग मे परिवर्तित हो गया। ट्रैप पार्टी को एक काला बैग भी प्राप्त

हुआ, जिसमें कुछ कागजात रखे हुए थे। उपर्युक्त सभी तथ्यों से यह सिद्ध होता है कि ट्रैप पार्टी के सदस्य एम के हिराधर (अ.सा.-13), जे पी सिन्हा (अ.सा.-9), एवं चतुरी सिंह (अ.सा.-12), की गवाही तथा रासायनिक परीक्षण की प्रक्रिया द्वारा पुष्ट होती है।

17. यह तथ्य भी चतुरी सिंह की गवाही से स्पष्ट होता है कि मेज़ पर एक काला बैग पाया गया तथा अवैध परितोषण प्राप्त करने के पश्चात्, वे उक्त रुपये को काले बेग मे कागजातों के बीच रखे गए, जिसे जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी 9 के तहत जब्त किया गया। उस बैग एवं उसमें रखे कागजातों को भी रंगहीन सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, जो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। यह तथ्य अभियोजन साक्षी एम के हिराधर (अ.सा.-13), जे पी सिन्हा (अ.सा.-9)की गवाही से भी पुष्ट होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अभियोजन साक्षी- एम के हिराधर (अ.सा.-13) ने यह भी बयान किया कि चतुरी सिंह ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने रुपये प्राप्त कर उसे काले बैग में रख दिया, और रुपये देने के पश्चात् उसने संकेत दिया। जैसे ही ट्रैप पार्टी वहाँ पहुँचा, अपीलार्थी ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया।

19. अतः चतुरी सिंह (अ.सा.-12), एम के हिराधर (अ.सा.-13), एवं जे पी सिन्हा (अ.सा.-9),की गवाही से यह स्पष्ट है की शिकायतकर्ता चतुरी सिंह ने अभियुक्त/ अपीलार्थी को रिश्वत के रुपये दी, जिसे उसने काले बैग में

रख दिया और ट्रैप पार्टी को देखकर तत्काल भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। इन गवाहों की गवाही से यह भी स्पष्ट होता है कि कुछ ही मिनटों पश्चात् अपीलार्थी लुंगी, बनियान एवं शॉल पहने हुए बाहर आया और कहा की वह अभी अभी भ्रमण से लौटा है। उसके पश्चात कमरे की तलाशी ली गई, किन्तु रिश्वत की राशि प्राप्त नहीं हुई। अपीलार्थी के हाथ, काले बैग तथा उसमें रखे कागजातों को रंगहीन सोडियम कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया, जो गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया। उपरोक्त सभी तथ्यों की पुष्टि अन्य गवाहों द्वारा भी की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. यह तथ्य भी अभियोजन साक्षी-12 चतुरी सिंह, अभियोजन साक्षी-4 भुखन दास, अभियोजन साक्षी-6 मुकुंद सिंह एवं अभियोजन साक्षी-8 कलानाथ की गवाही से स्पष्ट होता है कि उनके विरुद्ध जनक राम पोर्ते द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया था तथा उक्त प्रकरण को खारिज करने हेतु अपीलार्थी ने अवैध परितोषण की माँग की।

21. अभियोजन साक्षी-3 मदनलाल तिवारी की गवाही से भी यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि उसने शिकायत, चतुरी सिंह के निर्देश पर लिखी थी। जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा माँगी गई रुपये एवं चतुरी सिंह द्वारा दी गई राशि का संबंध है, अभियोजन साक्षी-12 चतुरी सिंह के कथन से यह स्पष्ट होता है कि जैसे ही वह कमरे में प्रवेश किया, अपीलार्थी ने

रुपये की माँग की, जिसे शिकायतकर्ता ने दे दिया और तत्पश्चात् उसने पाश दल को संकेत दिया। चतुरी सिंह के अनुसार, अपीलार्थी ने रुपये प्राप्त करने के पश्चात् उसे काले बैग में रख दिया, और इस तथ्य की पुष्टि अ.सा.13 एम के हिराधर तथा अ.सा. 9 जे पी सिन्हा ने भी की कि वह काला बैग जब्त किया गया और उस पर रासायनिक परीक्षण किया गया, जिसमें बैग एवं उसमें रखे कागजात घोल में डुबोए जाने पर गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गए। इससे यह सिद्ध होता है कि अपीलार्थी ने रुपये की माँग की थी तथा वह रुपये शिकायतकर्ता अभियोजन साक्षी-12 चतुरी सिंह द्वारा दी गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि न तो अपीलार्थी के पास से, न ही उसके घर से और न ही कम-से-कम काले बैग से कोई मुद्रा-नोट बरामद हुए, अतः उसे दोषमुक्ति का अधिकार है — यह तर्क अस्वीकार्य है। निस्संदेह, अपीलार्थी के पास से, उसके घर से अथवा काले बैग से धनराशि बरामद नहीं हुई, परन्तु संपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने के उपरान्त यह परिस्थिति स्पष्ट होती है कि जैसे ही ₹1200/- (₹100 के मूल्यवर्ग के 12 नोट) अपीलार्थी को सौंपे गए और रिश्वतदाता ने स्वयं देखा कि वे मुद्रा-नोट काले बैग में रखे गए, यह दर्शाता है कि अपीलार्थी ने रिश्वत स्वीकार की और उसे उक्त बैग में रख

दिया। उस रुपये को सौंपने के पश्चात् शिकायतकर्ता बाहर आया और ट्रैप पार्टी को संकेत दिया, तथा संकेत प्राप्त होते ही ट्रैप पार्टी तत्काल स्थल पर पहुँचा और ट्रैप पार्टी को देखकर अपीलार्थी ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया — यह आचरण भी इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि अपीलार्थी ने निःसंदेह रुपये की माँग की थी और तत्पश्चात् शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि स्वीकार की थी। इन तथ्यों की पुष्टि अभियोजन साक्षी-13 एम.के. हिराधर एवं अभियोजक साक्षी-9 जे.पी. सिन्हा की गवाही से भी होती है। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी की ओर से यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसने भीतर से दरवाज़ा क्यों बंद किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 113 के अंतर्गत अपने कथन में, जब काले बैग के संबंध में प्रश्न किया गया, तो अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उक्त काला बैग एवं उसमें रखे कागजात, जिन्हें जब्ती पंचनामा (प्रदर्श-9) के तहत ज़ब्त किया गया था, उसके ही हैं, तथा उसने यह भी अस्वीकार नहीं किया कि वह बैग एवं कागजात उसके स्वामित्व के हैं। अतः यह सुरक्षित रूप से निष्कर्षित किया जा सकता है कि अपीलार्थी ने रिश्वत की राशि स्वीकार की थी। यह उल्लेखनीय है कि जब्ती के उपरान्त, जब उस बैग एवं उसमें रखे कागजात को रंगहीन सोडियम

कार्बोनेट के घोल में डुबोया गया और वह गुलाबी हो गया, इस तथ्य के संबंध में अपीलार्थी ने कुछ भी नहीं कहा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब अपीलार्थी कुछ समय पश्चात बाहर आया, तो उसने ट्रैप पार्टी से कहा कि वह अभी-अभी दौरे से आया है, किन्तु कोई भी रोज़नामचा संहिता प्रस्तुत नहीं की गई, जिसमें उसका दौरे पर होना अथवा उसके जाने का स्थान अंकित हो। उपरोक्त परिस्थिति अपीलार्थी के प्रतिकूल जाती है। व्यक्ति असत्य कथन दे सकता है, परन्तु परिस्थितियाँ असत्य नहीं बोल सकतीं। अतः उपर्युक्त परिस्थिति अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. **उत्तर प्रदेश राज्य विरुद्ध जकाउल्लाह (पूर्वोक्त)** पर अवलंब लिया गया है इस प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पाश अधिकारियों के साक्ष्य पर, भले ही उसका समर्थन न हो, भरोसा किया जा सकता है। **गुजरात राज्य विरुद्ध रघुनाथ वामनराव बक्सी (पूर्वोक्त)** प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि आपराधिक मामलों में गवाहों के साक्ष्य, विशेषतः शासकीय सेवक एवं पुलिस अधिकारियों के, केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किए जा सकते कि वे शासकीय सेवक हैं, जो अपनी सेवा के दौरान अथवा अन्यथा विवेचना अधिकारियों के संपर्क में आए हो सकते हैं, अथवा जिन्हें विवेचना एजेंसियों की सहायता हेतु अनुरोध किया गया हो सकता है।

वर्तमान प्रकरण में भी, अभियोजन ने पाश अधिकारियों जैसे एम.के. हिराधर, जे.पी. सिन्हा तथा शिकायतकर्ता चतुरी सिंह के साक्ष्य प्रस्तुत कर, संदेह से परे अपने प्रकरण को सफलतापूर्वक सिद्ध किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न हैं, तथा अपीलार्थी के लिए सहायक नहीं हैं।

25. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, मेरी सुविचारित राय है कि माननीय परीक्षण न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के साक्ष्यों पर विश्वास करने में कोई त्रुटि नहीं की है और इस प्रकार विधिवत रूप से अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 161 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(**d**) सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध कर दंडादेश प्रदान किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. परिणामस्वरूप, गुणागुण से रहित होने के कारण अपील निरस्त किए जाने योग्य है एतद्वारा निरस्त की जाती है।

सही /-

आर.एल. झँवर

न्यायाधीश

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जायेगा . समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागु किये जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी.**

Translated By : Jay Kumar Dahariya, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur